# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 72/2020

निर्णय दिनांक 18.08.2021

ऑनलाईन नंबर 2020/00153

मघाराम पुत्र श्रीराम जाति ब्राह्मण निवासी हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूगरगढ

अप्रार्थी

उपस्थिति :-

1.श्री कैलाश सारस्वत अभिवाषकवादी

2.पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह प्रार्थना पत्र मघाराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी गांव हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ का स्थायी निवासी है जिसका सही नाम मघाराम पुत्र श्रीराम जाति ब्राह्मण निवासी हेमासर है तथा प्रार्थी का मघाराम नाम ही समस्त दस्तावेजो सरकारी, अर्द्धसरकारी जैसे मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड भामाशाह कार्ड व अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजो में दर्ज है तथा प्रार्थी मजदूरी पेशा व्यक्तिहै जो राजस्थाान राज्य से बाहर निवास करता है गांव वाले प्रार्थी को मेधराज के नाम से पुकारते है जो कि बोलता नाम है। प्रार्थी के पिता श्रीराम पुत्र फुसाराम जाति ब्राह्मण की खातेदारी के खेत खसरा नंबर पुराने 98 तादादी 29 बीघा 10 बिस्वा खेत खसरा नंबर पुराने 51 तादादी 14 बीघा 9 बिस्वा खेत खसरा नंबर पुराने 76 तादादी 66 बीघा 13 बिस्वा खेत खसरा नंबर पुराने 133 तादादी 15 बीघा 1बिस्वा भूमि रोही ग्राम हेमासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। प्रार्थी के पिता श्रीराम का देहान्त हो जाने के बाद जैर प्रार्थना पत्र के खसरा नम्बरान का विरासतन इन्तकाल संख्या 85 एव 87 दिनांक 05.06.1989 को दर्ज किये गये। उक्त ईन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम मघाराम के स्थान पर बोलता नाम मेघाराज ग्रामवासियो के बताये अनुसार पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर दिया गया। जो गलत दर्ज किया गया प्रार्थी का वास्तविक नाम सभी दस्तावेजो में मघाराम दर्ज चला आ रहा है। गत सेटलमैन्ट में खसरा नम्बर 98 के नये खसरा नम्बर 105, खसरा नंबर 51 के नये खसरा नम्बर 55, खसरा नम्बर 76 के नये खसरा नम्बर 82 खसरा नम्बर 133 के नये खसरा नम्बर 141 कायम किये गये। राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम दर्ज होने कि जानकारी प्रथम बार प्रार्थी को तब हुई जब प्रार्थी ने अपने हिस्सा कि कृषि भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु अपने दस्तावेजो बैक में पेश किये तो बैक वालो ने बताया कि राजस्व रिकार्ड मे आपका नाम मघाराम नही होकर मेघराज है इसलिए नाम सही दर्ज करवाओ बैक इनक्वायरी के बाद प्रार्थी ने अपने कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवायी तो पता चला कि विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय भूलवश पटवारी हल्का द्वारा ग्रामीणो के बताये अनुसार प्रार्थी का नाम मघाराम के स्थान पर मेघराज दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

दिया । भूलवश हुई लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ से सम्पर्क कर नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार श्रीडूंगरढ द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर कि कार्यवाही मानते हुये सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया । प्रार्थना पत्र रोही ग्राम हेमारार तहसील श्रीडूंगरगढ का होने से श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार का है। प्रार्थना पत्र तहसीलदार के इन्कारी के अन्दर मियाद एवं न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर से निवेदन है कि जैरकर खेत खसरा नंबर 105 रकबा 7.4600 हैक्टेयर खेत खसरा नंबर 55 रकबा 3.6600 हैक्टैयर खेत खसरा नंबर 82 रकबा 16.8600 हैक्टेयर मय गै.मु. रास्ता 0.3300 हैक्टेयर खेत खसरा नंबर 141 रकबा 3.8100 हैक्टैयर मय गै.मु. रास्ता 0.1000 हैक्टेयर रोही ग्राम हेमासर मे दर्ज प्रार्थी का नाम मेघराज पुत्र श्रीराम के स्थान पर मघाराम पुत्र श्रीराम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ को प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकरराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि खेत खसरा नम्बर 105 तादादी 7.46 हैक्टेयर खसरा नंबर 55 तादादी 3.66 तथा खसरा नंबर 82 तादादी 16.8600 खेत खसरा नंबर 141 तादादी 3.86 रोही हेमासर मे मेघराज पुत्र श्रीराम के बजाय मघाराम पुत्र श्रीराम किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है तो उचित होगा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया । स्टैट को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे कोई आपति नही होने के कारण प्रांर्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

खेत खसरा नम्बर 105 तादादी 7.46 हैक्टेयर खसरा नंबर 55 तादादी 3.66 तथा खसरा नंबर 82 तादादी 16.8600 खेत खसरा नंबर 141 तादादी 3.86 रोही हेमासर मे मेघराज पुत्र श्रीराम के बजाय मघाराम पुत्र श्रीराम नाम शुद्ध करने के आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

आदेश आज दिनांक 18.8.21 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)